न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद पत्र संख्या :-03/2021	दायर दिनांक: 11.1.2021

CIS NO:- 2021/4

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

1. धनराज आ0 पाल्या जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. बाबूडी पुत्री पाल्या जाति मीणा हाल पत्नी मुरारीलाल मीणा निवासी दूबी तहसील सवाई माधोपुर।
3. रामनाथी पत्नी पाल्या जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।,
4. हाथीडा आ0 भज्जा जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–वादीगण–

बनाम

1. मनभर बेवा गिरिराज जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. हरनारायण आ0 किशना जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. खान जी आ0 धनपाल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. भू-स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
5. राज्य सरकार जर्ये श्रीमान जिलाधीश महोदय, बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी एवं अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 30.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गंभीरी पटवार मण्डल मानपुरा तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 528/15–16, 528/602/00–07, गे0मु0 चाह, 528/603/02–00 कृषि भूमि स्थित है। यह कि वादीगण के खातेदारी की उक्त भूमि में जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम गंभीरी से खसरा संख्या 214 तथा 215 के बीच में होकर वादीगण के खेत खसरा संख्या 528 में पहुंचता है। जिसे नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने के कारण कोई भी बलपूर्वक रास्ता अवरूद्ध करने पर आमदा हो जाता है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

वाद पत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 03.11.2020 की अनुपालना में पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिसकी पालना में वाद पत्र पुनः दर्ज किया जाकर पक्षकारान को सु[illegible] किया गया।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से [illegible] जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित दो [illegible] = 20 वर्ग गठ्ठा भूमि,

1. प्रथम प्रस्तावित रास्ते में खसरा सं[illegible] भूमि, खसरा संख्या 215 में से खसरा संख्या 213 में से रकबा 7 • 2 [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

रकबा 44 • 2 गठ्ठा = 88 वर्ग गठ्ठा भूमि तथा खसरा संख्या 163 में से रकबा 14 • 2 गठ्ठा = 28 वर्ग गठ्ठा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल डोटेड लाइन से दर्शाया गया है।

दूसरे प्रस्तावित रास्ते में खसरा संख्या 163 में से रकबा 64 • 2 गठ्ठा = 128 वर्ग गठ्ठा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल डोटेड लाइन से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का ...लोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट गंभीरा में पेश हुई। उपस्थित ...गान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ...लदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता ... जाना उचित बताया है। ग्राम गंभीरी पटवार मण्डल मानपुरा तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी की ... खसरा संख्या 528/15–16, 528/602/00–07, गे0मु0 चाह, 528/603/02–00 कृषि भूमि पर ...ने के लिए प्रथम प्रस्तावित रास्ते में खसरा संख्या 212 में से रकबा 10 • 2 गठ्ठा = 20 वर्ग गठ्ठा ..., खसरा संख्या 213 में से रकबा 7 • 2 गठ्ठा = 14 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 215 में से रकबा ... • 2 गठ्ठा = 88 वर्ग गठ्ठा भूमि तथा खसरा संख्या 163 में से रकबा 14 • 2 गठ्ठा = 28 वर्ग ...ठा भूमि, जिसे प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया ... के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के ...पयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त ...स्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट 'क' नाम दिया गया है जो ...यालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर ...स्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner